

भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली
के प्राधिकार के अंतर्गत आदेश संख्या ए-27102 [02 [2017-स्था. (ए एल) 16 अगस्त 2017

(यह आदेश 01 जुलाई 2017 से प्रभावी होगा)

संस्था /विद्यालय के प्रमुख से प्राप्त प्रमाण पत्र
(बाल शिक्षा भत्ता प्रतिपूर्ति के लिए)

संदर्भ क्रम सं. :-----

दिनांक: -----

यह प्रमाणित किया जाता है कि कुमार/कुमारी -----जन्मतिथि ----- पुत्र / पुत्री श्री
/ श्रीमती-----विगत शैक्षणिक वर्ष----- के दौरान कक्षा -----वर्ग-----
-----अनुक्रमांक -----विद्यालय/संस्था----- से संबंधता पंजीकरण संख्या-----
----- कोड----- और प्रतिमान----- पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहा था/रही थी।

स्थान:

दिनांक:

प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर
(विद्यालय की मोहर लगाएँ)

**Authority vide Government of India Ministry of Personal P.G and Department of Personal &
Training, New Delhi, Order No. A-27102[02[2017-Estt. (AL) dated 16 August 2017**

(This order shall be effective from 01 Jul 2017)

CERTIFICATE FROM THE HEAD OF INSTITUTION / SCHOOL

(FOR REIMBURSEMENT OF CEA)

Ref No.....

Date:.....

It is certified that Master / Kumari having Admission No.....D.B.O. Son/Daughter
Mr./Mrs.was studying in class..... Sec..... Roll
No..... during the previous Academic year..... from to school/Institution,
namely.....vide affiliation Regd No/.....Code.....and pattern
..... Curriculum.

Place:
Date:

Signature of Principal
(Affix School Stamp)